राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(22)ग्रावि / नरेगा / आधार / पार्ट–I / 80830 / 2015 जयपुर, दिनांक : 8 JUL 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत आधार सीडिंग के संबंध में।**
संदर्भः– **विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.01.2016, 20.01.2016 एवं 26.02.2016**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नरेगा सॉफ्ट पर आधार सीडिंग की प्रगति की समीक्षा प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। विभाग द्वारा पूर्व में उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि श्रमिकों के आधार / ई.आई.डी. सीडिंग भामाशाह पोर्टल पर की जावे।

भामशाह पोर्टल एवं नरेगा सॉफ्ट का इन्टीग्रेशन नही हो पा रहा है, जिसके कारण भामाशाह पोर्टल से डाटा नरेगा सॉफ्ट पर प्रदर्शित नही हो पा रहा है।

इस संबन्ध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के आधार / ई.आई.डी. सीडिंग नरेगा सॉफ्ट पर भी करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उपरोक्त निर्णय मुख्य सचिव महोदय से अनुमोदित है।

भवदीय,
6/7/16
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त राजस्थान।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर / बाडमेर।
5. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

6/7/16
अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, ईजीएस